संख्या- 24 /2026/ 88 /चार-2026-1872362

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 23 जनवरी, 2026**

विषय- गणतंत्र दिवस समारोह- 2026 के अवसर पर राजपथ, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश की झांकी में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3841/सं0नि0-15(82)/2022-23, दिनांक 06 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या- 272/सू0एवंज0स0वि0(प्रशा0)- 518/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के क्रम में दिनांक 07 जनवरी, 2026 से 28 जनवरी, 2026 तक गणतंत्र दिवस समारोह-2026 के अवसर पर राजपथ, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली 'बुन्देलखण्ड का किला (कालींजर फोर्ट) विषयक झांकी में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	कलाकार/ दल का नाम	विधा	कलाकारों की संख्या	मानदेय धनराशि	योग
1	श्री संजय कुमार शर्मा के दल के साथी कलाकार	'बुन्देलखण्ड का किला कालींजर) (फोर्ट	18	18 x 22 x 3500=	13,86,000.00
2	प्रति कलाकार नई ड्रेस		18	18 x 15000=	2,70,000.00
3	प्रति कलाकार किराया		18	18 x 4000=	72,000.00
4	मेकअप और प्रॉपर्टी				24,000.00
5	श्री संजय कुमार शर्मा कोरियोग्राफर, मथुरा		01	1,40,000.00	1,40,000.00
योग (रू0 अट्ठारह लाख बानवे हजार मात्र)					**18,92,000.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त गणतंत्र दिवस समारोह-2026 के अवसर पर राजपथ, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली 'बुन्देलखण्ड का किला (कालींजर फोर्ट) विषयक झांकी में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने हेतु दिनांक 07 जनवरी, 2026 से 28 जनवरी, 2026 तक (22 दिवस) के स्थान पर प्रस्ताव के अनुमोदन की तिथि से समानुपातिक धनराशि अर्थात् दिनांक 16 जनवरी, 2026 से 28 जनवरी, 2026 तक **(13 दिवस)** हेतु **रू0 13.25 लाख (रू0 तेरह लाख पच्चीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -13- आजादी का अमृत काल महोत्सव - 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 24 /2026/ 88 (1) /चार-2026-1872362 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in